संख्या:-94/2022/001-185आ0-23-5-22-27(भवन)/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर, कानपुर, सम्भल, एटा, वाराणसी एवं लखनऊ के 08 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-690बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 02.11.2022 एवं पत्र सं0-651बीजीबी/112बीजीबी/सामान्य/2022-23, दिनांक 14.11.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर, कानपुर, सम्भल, एटा, वाराणसी एवं लखनऊ के 08 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 81.026 लाख(रू0 इक्यासी लाख दो हजार छः सौ मात्र) की** वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/ पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	टेण्डर के पश्चात बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	51/2021/106आ0/23-5-21-23(भवन)/2020टीसी, दिनांक 23.03.2021	अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त लो0नि0वि0, मीरजापुर कार्यालय के विशेष मरम्मत का कार्य।	17.23	0.50	16.73	0.30	16.43	16.43
2	51/2021/106आ0/23-5-21-23(भवन)/2020टीसी, दिनांक 23.03.2021	कानपुर देहात में माती मुख्यालय स्थित लो0नि0वि0 के निरीक्षण भवन की विशेष मरम्मत का कार्य।	14.45	0.014	14.436	0.30	14.136	14.136
3	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	निरीक्षण भवन मुजाहिदपुर कैलादेवी में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल, चौकीदार कक्ष, दरवाजों-खिड़कियों, टाईल्स, सैनेटरी, जल सप्लाई आदि की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई तथा अन्य सुरक्षात्मक कार्य।	22.04	0.03	22.01	14.00	8.01	8.01
4	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	सम्भल में लो0नि0वि0 के गेस्ट हाउस सम्भल के जीर्णोद्धार का कार्य।	06.52	0.01	6.51	4.00	2.51	2.51
5	145/2021/411आ0/23-5-	सम्भल में लो0नि0वि0 के	09.17	0.00	9.17	6.00	3.17	3.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	निरीक्षण भवन (कार्यालय भवन) सम्भल के जीर्णोद्धार का कार्य।						
6	15/2020/08आ0/23-5-20-6(भवन)/2018टीसी-1 दिनांक 02.03.2020	एटा में लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन, एटा की साज-सज्जा एवं मरम्मत का कार्य।	13.80	0.01	13.79	0.13	13.66	13.66
7	04/2022/17आ0/23-5-22-27(भवन)/2020, दिनांक 07.01.2022	वाराणसी में सर्किट हाउस वाराणसी के कक्षों का रिनोवेशन एवं अन्य विविध कार्य।	21.29	0.10	21.19	2.00	19.19	19.19
8	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021 दिनांक 28.12.2021	लखनऊ में अर्जुनपुर स्थित निरीक्षण भवन में मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	11.09	0.17	10.92	7.00	3.92	3.92
योग :-							**81.026**	**81.026**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 81,02,600 (रूपये इक्यासी लाख दो हजार छ: सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-94/2022/001-185आ0(1)/23-5-2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी मीरजापुर, कानपुर देहात, सम्भल, एटा, वाराणसी व लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर, कानपुर देहात, सम्भल, एटा, वाराणसी व लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, मीरजापुर क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, मुरादाबाद क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र व वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, मीरजापुर वृत्त, कानपुर वृत्त, मुरादाबाद वृत्त, अलीगढ़ वृत्त, वाराणसी वृत्त व लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर देहात।
15- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल।
16- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, एटा।
17- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
18- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।
19- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।